

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 719] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 2019/अग्रहायण 21, 1941 No. 719] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 2019/AGRAHAYANA 21, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 912(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियमों को तात्कालिक प्रभाव से विखंडित करती है, अर्थात् :-

- (i) सा.का.नि. सं. 663(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित डाकघर बचत खाता नियम, 1981;
- (ii) सा.का.नि. सं. 664(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत सावधि जमा नियम, 1981;
- (iii) सा.का.नि. सं. 666(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा नियम, 1981;
- (iv) सा.का.नि. सं. 701(अ), तारीख 10 अगस्त, 1987 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) नियम, 1987:
- (v) सा.का.नि. सं. 496(अ), तारीख 1 मई, 1989 द्वा्रा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत-पत्र (सातवां निर्गम) नियम, 1989;
- (vi) सा.का.नि. सं. 490(अ), तारीख 2 अगस्त, 2004, द्वारा प्रकाशित वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004;
- (vii) सा.का.नि. सं. 705 (अ), तारीख 23 सितंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किसान विकास पत्र नियम, 2014;
- (viii) सा.का.नि. सं. 323(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016: परंतु ऐसी सुस्ती,-
- (i) उक्त नियमों के पूर्व प्रचालन या कुछ किया गया है या करने का लोप किया गया है या उसमें सहन किया गया हो ; या

6395 GI/2019 (1)

(Thumb impression should be attested by a person known to Accounts office)

Payment Order

(For office use only)

(Por office	use only)	
		Date
Paymer	nt detail	
Rs		_
		_
(in figurers)		(in words)
		Signature of Postmaster/Manager
Acqu	ittance	
(to be filled	by depositor)	
(In figures)	(in we	ords) By cash/cheque/DD bearing
dated	/by transfer to	Account No
Signature/thumb impression of	of account holder(s)/gr	uardian
	Rs(in figurers)(to be filled(In figures)(dated	Payment detail Rs

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 918(अ).—केंद्रीय सरकार, सरकार बचत सर्वधन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए।

निम्नलिखित योजना बनाती है अर्थात:-

- 1 सक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस योजना का सक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत आवर्ति निक्षेप योजना 2019 है।
 - (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होनी।
- 2 परिभाषा (1) इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षिप्त न हो
 - (क) "खाता" से इस योजना के अधीन खोला गया कोई खाता अभिप्रेत है
 - (ख) "खाता धारक" वह व्यक्ति अभिप्रते है जिसके नाम से खाता धारित है
 - (ग) "अधिनियम" से सरकार बचत संवर्धन अधिनियम 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है

- (घ) "प्रारुप" से इस योजना से सलंग्न प्रारुप अभिप्रते है।
- (ङ) "साधारण नियम" से सरकार बचत संवर्धन साधारण नियम 2018 अभिप्रेत है।
- (च) "वर्ष" से खाते में पहले निक्षेप की तारीख से आरम्भ होने वाली 12 मास की अवधि अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दो और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नही है वही अर्थ होगे जो उस अधिनियम और साधारण नियमों में है।
- 3 खाते का खोला जाना- (1) खाता, खाता कार्यालय में प्ररुप- 1 में आवेदन पर :-
 - (क) किसी एकल व्यस्क द्वारा या
 - (ख) तीन तक संयुक्त व्यस्क : द्वारा या
 - (ग) किसी अवयस्क या विकृतचित व्यक्ति की और से सरंक्षक द्वारा या
 - (घ) कोई अवयस्क जिसने दस वर्ष की आयु पूरी कर ली है स्वयं अपने नाम से खाता खोल सकेगा।
 - (2) कोइ व्यक्ति अपने नाम से या अन्य के साथ संयुक्त रुप से एक से अधिक खाते रख सकेगा।
- 4 परिपक्वता अवधि खाते की परिपक्वता अवधि पाँच वर्षों की होगी।
- **5 निक्षेप** (1) उप-पैरा (2) से (4) और पैरा 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई खाता धारक खाते मे मासिक निक्षेप करेगा।
 - (2) अन्य अभिधान के खाते के लिए, रिबेट की धन राशि उप पैरा (1) में विर्निदिष्ट दर के आनुपातिक होगी।
 - (3) छह मासिक या अधिक का अग्रिम निक्षेप वह मास भी शामिल होगा जिसमें निक्षेप किया गया है।
- (4) यदि अग्रिम निक्षेप छह मास से कम की अवधि के लिये किया गया है, कोइ रिबेट अनुज्ञय नहीं होगा और यदि अग्रिम निक्षेप बारह मास से कम की अवधि के लिए किये गये है तो रिबेट केवल छह मासिक अग्रिम निक्षेपों के लिए स्वीकृत विस्तार तक अनुज्ञय होगे।
- (5) अग्रिम तौर पर की गई छह मासिक निक्षेप या उससे अधिक के लिए रिबेट खाताधारक को इस बात पर ध्यान दिए बगैर दी जाएगी कि क्या किसी कैलेंडर मास में राशि एकमुश्त धनराशि निक्षेप की गई थी या किसी कैलेंडर मास में अलग-अलग तारीखों पर निक्षेप की गई थी।
- (6) जहां निक्षेपविभिन्न तारीखों पर किया जाता है, रिबेटनिक्षेप के समय संदत्त की जाएगी जो छह मास या उससे अधिक, जैसा भी मामला हो, के लिए अग्रिम निक्षेप करता है।
- (7) अग्रिम निक्षेप खाता खोलने के समय या तत्पश्चात किसी भी समय किया जा सकता है।
- (8) इस पैरा के अधीन अग्रिम निक्षेप लागू रिबेट के शुद्ध में किया जाएगा।
- (9) अग्रिम निक्षेप पांच वर्षों तक किसी भी अवधि के लिए किया जा सकता है।
- 8. समयपूर्व बंद करना- खाताधारक, प्ररूप 2 में लेखा अधिकारी को आवेदन करके, खाता खोलने की तारीख से तीन वर्ष के पश्चात खाते को समयपूर्व बंद कर सकता है और ऐसे खाते को समयपूर्व बंद करने पर डाकघर बचत खाते को समय-समय लागू दर पर ब्याज देय होगा।

परंतु खाते को समयपूर्व बंद करना अनुज्ञात नहीं होगा जब तक अवधि जिसके लिए अग्रिम निक्षेप पैरा 7 के अधीन किया गया है, बंद है । 9. परिपक्कता पर प्रतिसंदाय- (1) खाता जिसमें इसकी परिपक्कता अवधि या पैरा 6 के उप-पैरा (1) के अंतर्गत बढ़ायी गई परिपक्कता अवधि के दौरान साठ मासिक निक्षेप किए गए हैं, तो खाताधारक नीचे सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप-3 में आवेदन द्वारा धनराशि प्राप्त करने के लिए ऐसी अवधि के अंत में संदाय करेगा:-

सारणी

अवधि जिसके दौरान खाता खोला गया है	100 रुपए अभिधान के खाते पर प्रतिसंदाय धनराशि		
अधिसूचना की तारीख से	7231.38		
प्रतिसंदाय धनराशि ब्याज सहित अन्य अभिधान के खाते पर सारणी में विनिर्दिष्ट धन के आनुपातिक होगी।			

- (2) जहां खाता बंद हो गया है और परिपक्वता अविध या पैरा 6 के उपपैरा (1) के अंतर्गत विस्तारित परिपक्वता अविध के दौरान पुनरुज्जीवित नहीं किया गया है, खाताधारक ऐसी अविध के बीत जाने पर भी की ब्याज सहित जो उपपैरा (1) में सारणी में विनिर्दिष्ट धनराशि के उसी आनुपात में धनराशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
- (3) परिपक्वता पर खाते को अंतिम रूप से बंद करने पर या अन्यथा खाते में देय राशि को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ पचास पैसे या इससे अधिक की राशि को एक रुपया माना जाएगा तथा पचास पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा।
- 10. परिपक्वता अविध के पश्चात् खाता जारी रखना- (1) पूर्वगामी पैरा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, खाते में इसकी परिपक्वता अविध या पैरा 6 के उपपैरा (1) के अधीन यथा विस्तारित परिपक्वता अविध के दौरान यदि छह मासिक निक्षेप किए गए हैं, तो खाताधारक, अपने विकल्प पर, प्ररूप-4 में आवेदन करके, अधिकतम पांच वर्षों की आगे की अविध के लिए खाता जारी रख सकता है और इस प्रकार बढ़ाई गई अविध के दौरान मासिक निक्षेप कर सकता है जो पहले निक्षेप के बराबर होगी और ऐसे निक्षेप पर पैरा 6 और 7 के उपबंध लाग् होंगे।
- (2) उप-पैरा (1) के अंतर्गत जारी रखे गए खाते को खाताधारक द्वारा किसी भी समय बंद किया जा सकता है और इस प्रकार बंद करने पर वह ब्याज सहित राशि का प्रतिसंदाय निम्नलिखित रूप से प्राप्त करने का हरदार होगा :-
- (क) यदि खाता वर्षों की पूर्ण संख्या के लिए उप-पैरा (1) के अधीन जारी रखने के पश्चात बंद किया जाता है, खाताधारक नीचे दी गई सारणी-1 में यथा विनिर्दिष्ट ब्याज सहित राशि को प्राप्त करने का हरदार होगा ;

सारणी 1

(इस योजना के प्रकाशन के बीच खोले गये खातों पर और परिपक्कता अवधि या पैरा 10 के उप पैरा (1) के अधीन यथाविस्तारित अवधि के पश्चात मासिक नक्षेप के साथ जारी प्रतिसंदाय पर ब्याज सहित राशि)

पूर्ण वर्षों की संख्या जिसमें खाता जारी है	100 रुपये अभिधान के खाते पर प्रतिसंदाय राशि
एक वर्ष	9013.82
दो वर्ष	10928.10
तीन वर्ष	12983.98
चार वर्ष	15191.92

पाँच वर्ष	17563.19
किसी अन्य अभिधान पर ब्याज सहित प्रतिसंदाय राशि सारणी	में विनिर्दिष्ट राशि के आनुपातिक होगी।

- (ख) यदि खाता एक वर्ष से कम की अवधि के लिए उप-पैरा (1) के अंतर्गत जारी रखने के पश्चात बंद किया जाता है, खाताधारक:
- (i) पूर्ण माह जिस दौरान खाता जारी रहा था, के लिए ऐसी राशि पर ब्याज और (ii) वह अवधि जिस दौरान खाता जारी रहा था, के दौरान उसके द्वारा जमा की गई राशि के साथ पैरा 9 के उप-पैरा (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
- (ग) यदि खाता चार वर्ष से अनिधक तथा तत्पश्चात वर्ष के एक भाग के लिए संख्या में पूर्ण वर्षों के लिए उप-पैरा (1) के अंतर्गत जारी रखने के पश्चात बंद किया जाता है, खाताधारक;
- (i) उप-पैरा 2(क) के अधीन राशि,
- (ii) आंशिक वर्ष में पूर्ण मासों के लिए उस राशि पर ब्याज तथा,
- (iii) आंशिक वर्ष के दौरान उसके द्वारा की गई जमाराशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
- (ঘ) खंड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट ब्याज की गणना डाकघर बचत खाते में समय-समय पर लागू दर पर की जाएगी।
- 11. परिपक्वता अविध के पश्चात प्रतिसंदाय की राशि को प्रतिधारित करना- (1) पूर्वगामी पैरा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,खाते में इसकी परिपक्वता अविध या पैरा 6 के उप-पैरा (1) के अधीन यथा विस्तारित परिपक्वता अविध के दौरान यदि छह मासिक निक्षेप किए गए हैं, तो खाताधारक, अपने विकल्प पर,अधिकतम पांच वर्षों तक की अतिरिक्त अविध के लिए, ऐसी अतिरिक्त अविध के दौरान किसी नए निक्षेप को किए बिना पैरा 9 के उप-पैरा (1) के अधीन प्ररुप 3 पर आवेदन करके देय प्रतिसंदाय की राशि प्रतिधारित कर सकता है।
- (2) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अतिरिक्त अवधि की समाप्ति पर खाता बंद किए जाने पर, खाताधारक नीचे दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिसंदाय प्राप्त करने का हकदार होगा।

अतिरिक्त अवधि जिसके लिए खाता प्रतिधारित है	देय राशि
(1)	(2)
(i) यदि अतिरिक्त अवधि एक वर्ष से कम है।	अतिरिक्त अवधि में पूर्ण महीनों के लिए उस राशि पर ब्याज के साथ पैरा 9 के उप-पैरा (1) के अंतर्गत देय राशि।
(ii) यदि अतिरिक्त अवधि केवल पूर्ण वर्षों में है।	सारणी-IV में विनिर्दिष्ट राशि।
(iii) यदि अतिरिक्त अवधि पूर्ण वर्षों में चार वर्ष से अनधिक और तत्पश्चात वर्ष का एक भाग है।	आंशिक वर्ष में पूर्ण महीनों के लिए उस राशि पर ब्याज सहित संख्या में पूर्ण वर्षों से संगत मद (ii) में निर्दिष्ट राशि।

सारणी 2 (इस योजना के प्रकाशन के बीच खोले गये खातों पर और परिपक्वता अवधि या पैरा 10 के उप पैरा (1) के अधीन यथाविस्तारित अवधि के पश्चात मासिक नक्षेप के साथ जारी प्रतिसंदाय पर ब्याज सहित राशि)

पूर्ण वर्षों की संख्या जिसमें खाता जारी है	100 रुपये अभिधान के खाते पर प्रतिसंदाय राशि
एक वर्ष	7766.26
दो वर्ष	8340.71
तीन वर्ष	8957.65
चार वर्ष	9620.23
पाँच वर्ष	10331.81

किसी अन्य अभिधान पर ब्याज सहित प्रतिसंदाय राशि सारणी में विनिर्दिष्ट राशि के आनुपातिक होगी।

- (3) उप-पैरा (2) की मद (i) और (iii) में विनिर्दिष्ट ब्याज की गणना डाकघर बचत खाता में समय-समय पर लागू ब्याज पर होगा।
- (4) (क) यदि बंद कर दिए गए खाते की परिपक्वता मुल्य खाताधारक द्वारा प्रतिधारित किया जाता है, तो परिपक्वता की तारीख के पश्चात पूर्ण किए गए वर्षों के लिए इस योजना को लागू दर से ब्याज और पूर्ण किए गए महीने, डाकघर बचत खाता को लागू दर के लिए यदि अवधि एक वर्ष से कम है, तो परिपक्वता मुल्य पर परिपक्वता की तारीख पर देय होगा।
- (ख) इस उप-पैरा के अधीन ब्याज का भुगतान खाते की परिपक्वता की तारीख से अधिकतम पांच वर्षों तक किया जाएगा।
- (5) परिपक्वता मुल्य के भुगतान के लिए अनुमत चूकों वाले खाते को भी जारी न रखे गए खाते के समान माना जाएगा और उन मामलों में जहां खाता जारी नहीं रखा गया है या अनुमत संख्या में चूक हुई हैं, ब्याज परिपक्वता मुल्य पर उप-पैरा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार किया जाएगा।
- 12. खाता धारक की मृत्यु होने पर प्रतिसंदाय— (1) उप-पैरा (2) के अध्याधीन, एकल खाता में खाताधारक की या संयुक्त खाता में सभी खाताधारकों की मृत्यु होने पर, खाता में कोई और निक्षेप नहीं किए जाएंगे और प्रतिसंदाय ऐसी प्रक्रिया के उद्देश्यों के लिए जैसी भी स्थिति हो नामिति यो बिधिक वारिस को किया जाएगा। खाते पर प्रतिसंदाय के लिए देय राशि नीचे दी गई सारणी 1 में विनिर्दिष्ट है:-

सारणी 1

क्रम सं0	निक्षेपों की संख्या	देय राशि
(1)	(2)	(3)
1.	(क) यदि साठ मासिक निक्षेप किए गए हैं और खाता पैरा 10 या पैरा 11 के उप-पैरा (1) के अधीन जारी नहीं रखा गया है।	पैरा 9 के उप-पैरा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट राशि
2.	(ख) यदि साठ से कम मासिक निक्षेप किए गए हैं; और (i) यदि नामिति या विधिक वारिस परिपक्वता अविध या पैरा 6 के उप-पैरा (1) के अधीन बढ़ाई गई परिपक्वता अविध की समाप्ति पर देय राशि प्राप्त करने का इच्छुक है; या (ii) यदि नामिति या विधिक वारिस उपर्युक्त (i) में बताई गई अविध से पूर्व किसी भी समय देय राशि प्राप्त करने का इच्छुक है।	पैरा 13 के उपबंधों के अध्यधीन, पैरा 9 के उप-पैरा (1) के अधिन सारणी में विनिर्दिष्ट राशि। पैरा 13 के उपबंधों के अध्यधीन, सारणी 2 में विनिर्दिष्ट राशि।
3.	(ग) यदि खाता पैरा 10 या पैरा 11 के उप-पैरा (1) के अंतर्गत जारी रखा गया है।	पैरा 10 या पैरा 11, जैसा भी मामला हो, के उप-पैरा (2) में विनिर्दिष्ट राशि।

सारणी 2 इस योजना की अधिसूचना के दिन के बीच खोले गये खातों पर और खाते के बंद होने तक इस योजना के अधीन पाँच वर्ष में निक्षेपक की मृत्यू होने पर विधिक वारिस या नामिति को संदेय राशि

किए गये निक्षेपों की संख्या	100 रुपये के अभिधान लिए राशि (रुपये)	किए गये निक्षेपों की संख्या	100 रुपये के अभिधान लिए राशि (रुपये)
1 से 11	किया गया निक्षेप	36	4026.32
12	1247.55	37	4150.94
13	1355.59	38	4276.29
14	1464.27	39	4402.39
15	1573.60	40	4529.25
16	1683.59	41	4656.86
17	1794.22	42	4785.23
18	1905.52	43	4914.36
19	2017.48	44	5044.27
20	2130.11	45	5174.95
21	2243.41	46	5306.42
22	2357.39	47	5438.66
23	2472.05	48	5571.70
24	2587.39	49	5705.52
25	2703.42	50	5840.15
26	2820.14	51	5975.58
27	2937.55	52	6111.82
28	3055.67	53	6248.87
29	3174.49	54	6386.73
30	3294.02	55	6525.42
31	3414.27	56	6664.94
32	3535.23	57	6805.29
33	3656.91	58	6946.47
34	3779.32	59	7088.50
35	3902.45	60	7231.38

⁽²⁾ उप-पैरा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि तीन उत्तरजीवित नामिति या विधिक वारिस हैं, तो वे निर्धारित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करते हुए खाता जारी रख सकते हैं और इस योजना के लिए उपबंधित तरीके से ब्याज के साथ राशि का प्रतिसंदाय प्राप्त कर सकते हैं, मानो कि यह खाता उन्होंने स्वयं खोला था और लेखा कार्यालय सुसंगत अभिलेखों में यह टिप्पणियां दर्ज करेगा कि खाता नामिति या विधिक वारिस, जैसा भी मामला हो, के नाम अंतरित किया गया है।

⁽³⁾ संयुक्त खाते में एक या दो खाताधारकों की मृत्यु होने पर उत्तरजीवी खाताधारक या खाताधारकों को खाते का एकमात्र स्वामी या स्वामियों के रुप में माना जाएगा और ऐसे खाताधारक या खाताधारकों को उपबंधित किसी रीति से खाते का

संचालन कर सकते हैं मानो कि यह खाता उसने या उन्होंने स्वयं अपने नाम पर खोला था। यदि खाते में साठ से कम मासिक नक्षेप खाते में किए गए हैं तो उत्तरजीवि खाताधारक या खाताधारकों के पास खाता तुरंत बंद करने का भी विकल्प होगा और उप पैरा (1) में यथा विनिर्दिष्ट राशि प्राप्त करेगा।

- (4) अव्यस्क या विकृतचित व्यक्तियों के संरक्षक की मृत्यु होने पर, नया संरक्षक खाता बंद कर सकता है और पैरा 9 के उप-पैरा
- (1) या (2) या पैरा 10 के उप-पैरा (2) या पैरा 11 के उप-पैरा (2), जैसा भी मामला हो, में विनिर्दिष्ट राशि का दावा कर सकेंगे यदि वही ऐसे खाताधारक को ब्याज में अपेक्षित हो।
- (5) यदि खाता नामिति या विधिक वारिस द्वारा बंद कर दिया जाता है और खाते की अवधि के अंत में परिपक्वता मुल्य का दावा किया जाता है, तो संदेय राशि पैरा 9 के उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से गणना की जाएगी।
- 13. कुछ मामलों में खाताधारक की मृत्यु होने पर पूर्ण परिपक्कता मुल्य का प्रतिसंदाय (संरक्षित बचत योजना) (1) जहां एकल खाते में खाताधारक या संयुक्त खाते में सभी खाताधारकों की मृत्यु खाते की परिपक्कता अवधि या पैरा 6 के उप-पैरा (1) के अधीन बिस्तारित अवधि के दौरान होती है, ऐसे खाताधारक या खाताधारकों के विधिक वारिस या नामिति, जैसा भी मामला हो, पैरा 9 के उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे, मानो कि निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, खाताधारक ने सभी साठ मासिक निक्षेपों का भुगतान कर दिया था, अर्थात:-
- (i) इस पैरा के अधीन पूर्ण परिपक्वता मुल्य का भुगतान एक सौ रुपये के अभिधान के खाते की परिपक्वता मुल्य तक निर्बंधित रखा जाएगा;
- (ii) खाता, बंद खाता नहीं हुआ है;
- (iii) खाता खोलने की तारीख से खाताधारक या उत्तरजीवी खाताधारक, जैसा भी मामला हो, की मृत्यु की तारीख तक अवधि दो वर्ष से कम न हो;
- (iv) खाता खोलते समय खाताधारक अथवा खाताधारकों, जैसा भी मामला हो, की आयु अट्ठारह वर्ष से कम और पचपन वर्ष से अधिक न थी:

परंतु खाता खोलते समय या उसके पश्चात खाताधारक या खाताधारकों ने लेखा कार्यालय में लिखित में घोषणा नहीं की है, जिसमें खाताधारक या खाताधारकों की आयु दर्शायी गई है, दावेदार मृत खाताधारक अथवा खाताधारकों के जन्म प्रमाणपत्र/विद्यालय परित्याग प्रमाणपत्र/पैनकार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा।

(v) पहले चौबीस मासिक निक्षेप को बिना चूक के किया गया है:

परंतु चूक हुई किस्त का भुगतान खाताधारक अथवा उत्तरजीवित खाताधारक, जैसा भी मामला हो, की मृत्यु से पहले पैरा 6 के उप-पैरा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट पुनरुज्जीवन सहित किया जा चुका है, तो उसे चूक नहीं माना जाएगा;

- (vi) खाता खोलने की तारीख से चौबीस मास के पश्चात चूक की राशि, यदि कोई है, पैरा 6 के उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट दर से ऐसी राशि पर पुनरुज्जीवन शुल्क के साथ इस पैरा के अधीन देय राशि में से काट ली जाएगी;
- (vii) पहले चौबीस महीनों के दौरान खाते में से कोई ऋण नहीं दिया गया है;
- (viii) खाता खोलने की तारीख से चौबीस मास के अवसान के पश्चात खाते में से पैरा 14 के अधीन ऋण लिया गया है, तो ऐसे ऋण की कोई बकाया राशि और पैरा 14 के अधीन उस देय ब्याज को इस पैरा के अधीन देय राशि में से वसूल कर लिया जाएगा।
- (2) (क) यदि खाताधारक या उत्तरजीवित खाताधारक के एक सौ रुपये से अनिधक अधिमान के एक से अधिक खाते हैं, तो इस पैरा के अधीन भुगतान का लाभ उन सभी खातों के संबंध में उपलब्ध होगा जिसे एक सौ रुपये के खाते की अधिकतम परिपक्वता मुल्य के अध्यधीन, खाताधारक अथवा उत्तरजीवित खाताधारक, जैसा भी मामला हो, द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया होगा।
- (ख) यदि खाताधारक या उत्तरजीवित खाताधारक के एक सौ रुपये से अधिक अधिमान के एक से अधिक खाते हैं, तो इस पैरा के अधीन भुगतान का लाभ केवल उस खाते के संबंध में उपलब्ध होगा जिसे एक सौ रुपये के मूल्य वर्ग के खाते की अधिकतम परिपक्वता अधिमान के अध्यधीन खाताधारक या उत्तरजीवित खाताधारक, जैसा भी मामला हो, द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया होगा।

परन्तु कि खाताधारक या उत्तरजीवित खाताधारक, लेखा कार्यालय जहां खाताधारित है, में आवेदन करते हुए खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट खाते को परिवर्तित कर सकता है।

- (ग) यदि खंड (क) या खंड (ख), जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत खाताधारक या उत्तरजीवित खाताधारक द्वारा कोई खाता विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, इस पैरा के अधीन संदाय का लाभ पूर्ववर्ती खातों के संबंध में अनुमत होगा जो इस पैरा के अंतर्गत संदाय हेतु अर्हक हैं।
- (घ) खंड (क) से (ग) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि खाताधारक अथवा उत्तरजीवित खाताधारक के एक से अधिक खाते हैं और खातों के संबंध में अलग-अलग नामांकन किया गया है, इस पैरा के अधीन संदाय का लाभ पूर्ववर्ती खातों के संबंध में नामितियों को अनुमत होगा जो संदाय हेतु अर्हक हैं।
- (3) विधिक वारिस या नामिति, जैसा भी मामला हो, खाताधारक या उत्तरजीवित खाताधारक,जैसा भी मामला हो, की मृत्यु होने पर मृत खाताधारक के संबंध में मृत्यु प्रमाणपत्र या उसकी प्रमाणित प्रति के साथ ऐसे खाताधारक की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष तक लेखा कार्यालय में आवेदन करेगा और लेखा कार्यालय नामिति/विधिक वारिस से यह घोषणा प्राप्त करेगा कि उसमें मृत खाता धारक के किसी खाते के संबंध में संरक्षित बचत योजना का लाभ इससे पूर्व नहीं लिया है।
- (4) खाताधारक की मृत्यु के पश्चात अग्रिम जमाओं की शेष राशि, यदि कोई है, तो उसको भी संरक्षित बचत स्कीम के अंतर्गत खाते की पूर्ण परिपक्वता राशि के साथ दावेदार को वापस लौटा दिया जाएगा।
- (5) (क) एक सौ रुपये से अधिक के अभिधान के खाते के मामले में, आनुपातिक परिपक्वता राशि, जो खाते में साठ किस्तों की जमाओं की संख्या की पूर्ण परिपक्वता राशि के समानुपात में होगी, का परिकलन किया जाएगा और इस तरह से परिकलित राशि यदि एक सौ रुपये मूल्यवर्ग के खाते की पूर्ण परिपक्वता राशि से अधिक बैठती है, तो इस पैरा के अंतर्गत कोई लाभ अनुमत नहीं होगा।
- (ख) यदि उक्त आनुपातिक परिपक्वता राशि एक सौ रुपये मूल्य वर्ग के खाते की पूर्ण परिपक्वता राशि से कम है, तो एक सौ रुपये के अभिधान की परिपक्वता राशि के बराबर राशि संरक्षित बचत स्कीम के अंतर्गत देय होगी।
- (6) यदि मृत खाताधारक के एक सौ रुपये से कम के अभिधान के एक से अधिक खाते हैं, तो इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त होगा, परंतु यदि उनके अभिधान का कुल एक सौ रुपये से अधिक होता है, तो स्कीम का लाभ केवल तभी अनुमत होगा जब उप-पैरा (5) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे सभी खातों की संयुक्त आनुपातिक परिपक्वता राशि एक सौ रुपये अभिधान के खाते की परिपक्वता राशि से कम है।
- **14. ऋण-** (1) उप-पैरा (2) से (7) के उपबंधों के अध्यधीन, जहां खाता पैरा 6 के उप-पैरा (2) के अंतर्गत बंद खाता नहीं बना है, खाताधारक प्ररुप 5 में लेखा कार्यालय पर आवेदन करके ऋण की सुविधा प्राप्त कर सकता है जो जमाराशि के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, यदि खाता न्यूनतम एक वर्ष प्रचालन में रहा है और खाते में बारह मासिक जमा किए गए हैं।
- (2) ऐसे ऋण की राशि दस रुपयों के गुणक में होगी जिसका प्रतिसंदाय खाता चालू रहने के दौरान किसी भी समय एकमुश्त अथवा बराबर मासिक किस्तों में किया जा सकता है।
- (3) ऋण के खाते को लागू ब्याज दर से अधिक दो प्रतिशता बिंदुओं की दर पर साधारण ब्याज निम्नलिखित रीति से देय होगा:-
- (क) यदि प्रतिसंदाय एकमुश्त है, आहरण की तारीख से प्रतिसंदाय की तारीख तक ऋण की राशि पर ब्याज उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट दर से परिकलित किया जाएगा;
- (ख) यदि भुगतान बराबर मासिक किस्तों में है, प्रत्येक किस्त की राशि दस रुपयों के गुणक में होगी और किस्तों की संख्या खाते की परिपक्वता अथवा परिपक्वता पश्चात अविध, जिसके लिए खाता पैरा 10 या पैरा 11 के अंतर्गत जारी रखा गया है, के लिए शेष महीनों की संख्या से अधिक नहीं होगी और ब्याज ऋण आहरित करने के महीने से प्रत्येक महीने के अंत पर भुगतान हेतु शेष राशि पर परिकलित किया जाएगा और ऐसे ब्याज की कुल राशि ऋण की राशि की पुनर्अदायगी की अंतिम किस्त के साथ अथवा जिस महीने ऋण की अंतिम किस्त का प्रतिसंदाय किया गया है, के बाद वाले महीने में देय होगी।
- (4)(क) खाते की परिपक्वता अवधि या पैरा 6 के उप-पैरा (1) या पैरा 10 के उप-पैरा (1) के अंतर्गत इसके विस्तार अवधि के दौरान, ऋण, यदि कोई है, की पुनर्अदायगी की मासिक किस्त मासिक जमाओं के साथ देय होगी।
- (ख) यदि पैरा 11 के उप-पैरा (1) के अंतर्गत बिना किसी नई जमाराशि के परिपक्वता अवधि से आगे खाता जारी रखा जाता है, ऋण, यदि कोई है, की पुनर्अदायगी की मासिक किस्तों का भुगतान इस विस्तार अवधि के दौरान किया जा सकता है।
- (5) जहां, बिना किसी कारण ऋण या उसके भाग की राशि का प्रतिसंदाय नहीं किया गया है अथवा खाते को बंद करने से पहले खाताधारक द्वारा उस ऋण पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है, इस संबंध में उसकी ओर से देय बकाया राशि खाता बंद किए जाने पर उसको अथवा उसके नामिति अथवा विधिक वारिस, जैसा भी मामला हो, को देय राशि में से वसूल की जाएगी।

- (6) कभी भी एक बार प्रतिसंदाय किए जा चुके ऋण पर वसूलनीय ब्याज की राशि निकटतम रुपये में पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजनार्थ पचास पैसे अथवा उससे अधिक की राशि का एक रुपये माना जाएगा और पचास पैसे से कम किसी भी राशि को छोड़ दिया जाएगा।
- (7) आवेदन की तारीख पर ऋण के प्रयोजनार्थ खाते में शेष राशि में अग्रिम जमाओं सहित सभी जमाओं को शामिल किया जाएगा।
- (8) (क) यदि वसूल किया जाने वाला ब्याज जमाओं पर देय ब्याज से अधिक है, खाताधारक को जमाओं की राशि में से आहरित की गई राशि काट के भुगतान किया जाएगा।
- (ख) ऋण पर वसूल किए जाने योग्य ब्याज की राशि घटाई जाएगी जिससे वह जमाओं पर देय ब्याज की राशि के बराबर हो जाए ताकि एक खाताधारक निवल जमाओं को प्राप्त कर सके।
- **15. संव्यवहार का पूर्णांकन-** इस स्कीम के अंतर्गत वसूलियों, आहरणों, पुनर्भुगतानों के सभी संव्यवहारों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ पचास पैसे अथवा उससे अधिक की राशि का एक रुपये माना जाएगा और पचास पैसे से कम किसी भी राशि को छोड़ दिया जाएगा।
- **16**. **अव्यस्क के वयस्क हो जाने पर प्रक्रिया-** (1) नाबालिग जिसकी ओर से खाता खोला गया है, वयस्क होने पर –
- (क) पूर्ण परिपक्वता अवधि के लिए अथवा पैराग्राफ 6 के उप-पैरा (1) अथवा पैरा 10या पैरा 11, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत इसके विस्तार अवधि के दौरान के खाता जारी रख सकता है; या
- (ख) यदि वह अब खाता आगे जारी नहीं रखता है, परिपक्वता अवधि की समाप्ति पर पैरा 9 के उप-पैरा (1) में यथा विनिर्दिष्ट आनुपातिक राशि या पैराग्राफ 10 के उप-पैरा (2) या पैरा 11 के उप-पैरा (2), जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत देय राशि का दावा कर सकता है।
- (2) अव्यस्क जो उप-पैरा (1) के खंड (क) के अंतर्गत खाते को जारी रखने का विकल्प चुनता है, को यथोचित प्रक्रिया पूरी करनी होगी और निम्नानुसार घोषणा करनी होगी:
- "मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने सामान्य नियम तथा राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा योजना-2019 का अध्ययन कर लिया है और मैं उक्त नियमों और योजना और उसके ऐसे सभी संशोधनों, जिन्हें समय-समय पर जारी किया गया है, स्वयं पर बाध्यकारी स्वीकार करता/करती हूँ।"
- 17.सामान्य नियमो लागू होना सामान्य नियमो उपबंध,उन मामलों के संबंध में भी लागू होगें, जिनके लिए इस योजना में कोई उपबंध नहीं किए गए हैं।
- 18. छूट देने की शक्ति जहां केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट होती है कि इन नियमों के किसी प्रावधान के प्रचालन से खाताधारक को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे खाताधारक के संबंध में जो इन नियमों के अन्य उपबंधों के लिए अप्रासंगिक न हो उस तरीके से आदेश द्वारा इसके कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड रखते हुए अधिनियम के उपबंध या उपबंधों की आवश्यकता में छुट दे सकती है।

[फा. सं. 2/2/2018-एनएस(भाग-I)] रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

प्ररुप - 1 [पैरा 3 का उप-पैरा (1) देखें] (खाता खोलने के लिए आवेदन)

सेवा	में डाकपाल/प्रबंधक	आवेदक का फोटो चिपकाएं
श्रीम	ान,	

मैं/हम(खाताधारक/सरंक्षक) आपके डाकघर/बैंक में राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा स्कीम के अधीन एक खाता खोलने के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं ।

मैं/हम आरंभिक जमा के रुप में सं द्वारा निविदान	/-(रपये) नकद/चैक/डीर्ड न करता हूं/करते हैं । मेरे/हमारी विशिष्टियां निम्नप्रकार हैं :-
1. प्रथम जमाकर्ता का नाम	
पति/पिता/माता या न्यायालय द्वारा नियुक्त	संरक्षक का नाम
जन्म तारीख	
	(तारीख / मास / वर्ष)
	(शब्दों में)
2. दूसरे जमाकर्ता का नाम	
पति/पिता/माता या न्यायालय द्वारा नियुक्त	
जन्म तारीख	
	(तारीख / मास / वर्ष)
	(शब्दों में)
3. तीसरे जमाकर्ता का नाम	
पति/पिता/माता या न्यायालय द्वारा नियुक्त	
जन्म तारीख	
	(तारीख / मास / वर्ष)
	(शब्दों में)
4. अवयस्क या विकृतचित खाताधारक(कों) का न	नाम
पिता/माता/संरक्षक का नाम	
जन्म तारीख	
	(तारीख / मास / वर्ष)
	(शब्दों में)
5. खाताधारक(कों) की आधार संख्या	
6. खाताधारक(कों) की स्थायी खाता संख्या (पैन	······)
7. वर्तमान पता	
स्थायी पता	

8. सपके ब्यौरे	दूरभाष सख्या
	मोबाइल नं
	ई-मेल आई डी
9. खाते का प्रकार एकल या संयुक्त या अवयस्क के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा	या विकृतचित के संरक्षक के माध्यम से या दृष्टिहीन अथवा दिव्यांग जन
10. (*)अवयस्क की जन्म तारीख के ब्यौरे	
·	
(अवयस्क खाते के मामले में लागू)	
(अवयस्क/विकृतचित व्यक्ति की ओर से खोले	गए खात का दशा म)
12. संलग्न किए गए अन्य केवाईसी दस्तावेजों ^ह	के ब्यौरे 1. पहचान का सबूत
	2. पते का सबूत
पहचान और पते के सबूत के प्रयोजन के लिए	ए निम्नलिखित दस्तावेज विधिमान्य दस्तावजों के रुप में स्वीकृत होगें :
<u> </u>	ता पहचान पत्र 4. राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नरेगा रजिस्टर द्वारा नाम और पते के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए, जारी पत्र
	खाते की दशा में) (क) सभी खाताधारक/खाताधारकों या उत्तरजीवी
खाताधारक/खाताधारकों द्वारा साथ-साथ (ख) किसी के द्वारा	खाताधारक/खाताधारकों या उत्तरजीवी जमाकर्ता/जमाकर्ताओं में से
14. मेरे/हमारे नमूना हस्ताक्षर	
1 (नाम)	2 3.,
1	23
(नाम)	
1	2 3
(नाम)	

	 नाम)			3		
(मैं, स्कीम के उपबंधों और स्की			नेयम-2018 तथा	उसमें समय-स	मिय पर किए
गए सं	शोधनों के पालन करने का वचन देत		1 -1 1/1 /1 1/80	777 2010 ((1)		
तारीख	T:		खाताधारक(कों)/संरक्षक के हस्त	गक्षर या अंगूठे	का निशान
		नार	मांक न			
16. ‡	ौं/हम	नीचे	। दिए गए व्यक्ति	त (व्यक्तियों) को	नामांकित कर	ता हूं/करते हैं
जिन्हें	मेरी/हमारी मृत्यु की दशा में सभी	अन्य व्यक्तियों को	अपवर्जित करते ह	हुए राष्ट्रीय बचत ३	आवर्ती निक्षेप	स्कीम में मेरी
मृत्यु व	ह समय जमा की गई रकम संदेय हो। 	गी। 			T _	
क्रम सं.	नामनिर्देशिती(नामनिर्देशितियों) का(के) नाम और संबंध	पूरा पता	नामनिर्देशिती का आधार संख्या (वैकल्पिक)	अवयस्क की दशा में नामनिर्देशिती की जन्म तारीख	हिस्सा जिसके लिए हकदार होगा	हकदारी की प्रकृति न्यासी या स्वामी
1						
2						
3						
4						
क्योंकि उपरोक्त विनिर्दिष्ट क्रम सं						
Tout =	खाताधारक(कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान					
स्थान	т.					

डाकघर /बैं क के प्रयोग के लिए
रपये आरंभिक जमा के साथ(स्की
का नाम) के अधीन खाता संख्यातारीखतारीखद्वारा खाता खोला गया है उपभोक्ता पहचान संख्या
नामांकन, संख्यातारीख द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।
सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुख
प्ररुप - 2
[पैरा 8 देखें]
(समयपूर्व खाता बंद करने के लिए आवेदन)
सेवा में
डाकपाल/प्रबंधक
श्रीमान जी,
1. मैं/हम राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा स्कीम के अधीन खोले गए मेरे/हमारे खाता संख्या जिसका अतिशेष मात्र) हैं को समयपू
बंद करना चाहते हैं और नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार लागू शास्ति को घटाने के पश्चात् रकम का संदाय करने का अनुरोध करते हैं :-
कृपया(कार्यालय का नाम जहां खाता स्थित है) पर मेरे एसबी खाता संख्य में रकम जमा करें ।
या
कृपया मांगदेय ड्राफ्ट/ पाने वाले खाते में देय चेक जारी करें ।
या
कृपया नगद संदाय करें (लागू होगा यदि रकम अनुज्ञेय सीमा से कम है)
3. मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि वह शर्त जिसके अधीन खाता राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा स्कीम के अधीन परिपक्वता से पृ खाता बंद किया जा सकता है, का अनुपालन कर लिया गया है।
*यह प्रमाणित किया जाता है कि खाते की रकम जीवित और विद्यमान अवयस्कके उपयोग के लि अपेक्षित है।
तारीख खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
केवल कार्यालय प्रयोग के लिए
संदाय के ब्यौरे
खाते में उपयुक्त अतिशेष
घटाई गई शास्ति की रकम

संदत्त किए जाने वाली कुल रकम `	(अंकों में)
(शब्दों में)	
तारीख मुद्रा	डाकपाल/प्रबंधक के हस्ताक्षर
!	निस्तारण पत्र
(खाताधारक/स	नंदेशवाहक द्वारा भरा जाए)
	(शब्दों में) रुपये नकद द्वारा प्राप्त हुए/ चैक/डीडी द्वारा खाता संख्या
तारीख: खाताधारक (कों)/संरक्षक के	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
	प्ररुप – 3
[पैरा 9	का उप-पैरा (1) देखें]
(खाते को बं	ंद करने के लिए आवेदन)
डाकघर/बैंक का नाम खाता संख्या	तारीख
	कर रहे हैं और मेरे/हमारे उपरोक्त उल्लिखित खाते को इकरने के लिए आवेदन करते हैं।
	ष(कार्यालय का
नाम जहां खाता स्थित है) पर मेरे एसबी खाता संख्या _	
कृपया मांगदेय ड्राफ्ट/ पाने वाले खाते में देय चेक जारी व	या हरें ।
	या
कृपया नगद संदाय करें (लागू होगा यदि रकम अनुज्ञेय र्स	ोमा से कम है)
*यह प्रमाणित किया जाता है कि खाते की रकम जी। अपेक्षित है।	वित और विद्यमान अवयस्कके उपयोग के लिए
	खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
· ·	ता है, परिचित व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए)
· ·	दाय का आदेश
(केवल क	ार्यालय प्रयोग के लिए)
	तारीख

	संदाय के ब्यौरे	
मूल रकम रुपयों में		
(+) ब्याज रुपयों में		
(-) अति संदत्त व्याज की वसूली रूपयों में		
कटौती यदि कोई रुपयों में		
कुल बकाया रकम रुपयों में		
(अंकों में)		_(शब्दों में) रुपये अदा करें
तारीख		
		डाकपाल/प्रबंधक के हस्ताक्षर
	निस्तारण पत्र	
	(जमाकर्ता द्वारा भरा जाए)	
(अंको में) संख्यातारीख		पये नकद द्वारा प्राप्त हुए/चैक/डीडी
में अंतरित किए गए		
	खाताधारक (कों)	/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
	प्ररुप- 4	
	[पैरा 10 का उपपैरा (1) देखें]	
	(खाते के विस्तार के लिए आवेदन)	
सेवा में,		
डाकपाल/प्रबंधक		
श्रीमान जी,		
1. मैं/हमआपके कार के जमाकर्ता हूं/हैं । उक्त को परिपक्व हो चुका है/हं वर्ष (वर्षों) की और अ अनुरोध करते हैं ।	खाता तारीखको खोला हो जाएगा । हम उपरोक्त कथित	खाते की परिपक्वता की तारीख से

2. मैंने/हमने समय-समय पर यथासंशोधित उक्त स्कीम के अधीन अवधि के विस्तार के दौरान खाते पर लागू निबंधनों और शर्तों को समझ लिया है और उसका पालन करुंगा/करेंगे।

रीख:	खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर (नाम और पता)
	(नाम और पता)
 केवल उस कार्यालय जिसमें	 खाता है के प्रयोग के लिए
ाता सं(स्कीम	का नाम) के अधीन तारीखक
रपयों के साथ खोला गया था और तार्र	
नियम के अधीन तारीख वधि के लिए विस्तार किया गया है ।	संवर्षां के
अभिलेखों और पासबुक और जमा रसीद/खाते के विवर	· ·
तारीख:	डाकपाल/प्रबंधक के हस्ताक्षर
	मुद्रा
प्ररुप	- 5
[पैरा 14 का उप	-पैरा (1) देखें]
(ऋण के लिए	र् आवेदन)
वा में	
कपालप्रबंधक/	
ोमान जी.	
•	/सरंक्षक), मेरे/हमारे खाते से नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार
	भारकाम्), गण्हमार बाल सं साच विद्र गड्र उनारा म बहुसा
ाता संख्या	
.ण की रकम जिसके लिए आवेदन किया गया है	
ग्ह प्रमाणित किया जाता है कि खाते की रकम जीवित औ	
ग्हे क्रमाणित किया जाता है कि खात का रकम जाकित जा पेक्षित है।	र विश्वमाण अववस्यव उत्रवाण या शिष
कृपया ऋण की रकम	(कार्यालय का नाम जहां खाता स्थित
) पर मेरे एसबी खाता संख्या	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
या	
पया मांगदेय ड्राफ्ट/ पाने वाले खाते में देय चेक जारी करें ।	
या	
'' पया नगद संदाय करें (लागू होगा यदि रकम अनुज्ञेय सीमा से व	
** *	
मैं/हम प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि स्कीम के अधीन ऋण प्र	सम्बद्धाः करण्याण्यु पासू प्रमा सता का पालम् कर्षालया गया ह
रीख:	खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
नुप्रमाणन अंगूठे की निशानी की दशा में लागू होगा)	લા પ્રાપાલિય

केवल कार्यालय उपयोग के लिए संदाय के ब्यौरे

खाते में उपलब्ध रकम (रुपयों में)	
आरंभिक अभिदान की तारीख	
तारीख जिसको पिछला ऋण अनुज्ञात किया गया थ	т
ऋण के लिए प्रदान की गई कुल रकम	(अंकों में)(शब्दों में
	डाकपाल या प्रबंधक के हस्ताक्षर
तारीख	मुद्रा
	निस्तारण पत्र
(5	जमाकर्ता द्वारा भरा जाए)
(अंको में) संख्यातारीख	(शब्दों में) रुपये नकद द्वारा प्राप्त हुए/चैक/डीडी द्वारा खाता संख्या में अंतरित किए गए .
तारीख: खाताधारक (कों)/स	गंरक्षक के हस्ताक्षर या अंगुठे का निशान

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

- **G.S.R. 918(E).** In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act,1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-
- **1. Short title and commencement.-** (1) This Scheme may be called the National Savings Recurring Deposit Scheme, 2019.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. **Definitions.-** (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "account" means an account opened under this Scheme;
 - (b) "account holder" means an individual in whose name the account is held;
 - (c) "Act" means The Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);
 - (d) "Form" means forms appended to this Scheme;
 - (e) "General Rules" means the Government Savings Promotion General Rules, 2018;
 - (f) "year" means a period of twelve months commencing from the date of first deposit in the account.
- (2) Words and expressions used herein but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the General Rules.
- **3. Opening of account.-** (1) On an application in Form-1 to the accounts office, an account may be opened by-
- (a) a single adult; or
- (b) upto three adults jointly;
- (c) a guardian on behalf of a minor or a person of unsound mind; or
- (d) a minor who has attained the age of ten years, in his own name.
- (2) An individual may have more than one account in his name or jointly with another.

- **4. Maturity period.-** The maturity period of the account shall be five years.
- **5. Deposits.-** (1) Subject to the provisions of sub-paragraphs (2) to (4) and paragraph 10, an account holder shall make sixty monthly deposits in an account.
- (2) The minimum amount of monthly deposit in an account shall be one hundred rupees or any sum in multiples of ten rupees.
- (3) The first monthly deposit shall be made at the time of opening of the account and the amount of such deposit shall be the denomination of the account.
- (4) Subsequent deposits equal to the first deposit shall be made upto the fifteenth day of each month, if account is opened before the sixteenth day of a calendar month; and upto the last working day of each month, if the account is opened between the sixteenth day and the last working day of a calendar month.
- **6. Defaults in deposits.-** (1) If there are not more than four defaults in monthly deposits, the account holder may, at his option, extend the maturity period of the account by as many months as the number of defaults and deposit the defaulted instalments during the extended period.
- (2) If there are more than four defaults, the account shall be treated as discontinued and revival of the account shall be permitted only within a period of two months from the month of fourth default.
- (3) Revival fee at the rate of one rupee for every hundred rupees of a defaulted instalment for each month of default (proportionate amount for other denominations) shall also be paid alongwith such deposit in lump-sum.
- (4) An account in which defaulted instalments are so deposited, shall not be treated as discontinued.
- **7.** Advance deposits.- (1) In an account which has not become a discontinued account under paragraph 6, deposits for not less than six monthly instalments may be made in advance in any month at the option of the account holder and rebate on such deposits shall be admissible as follows:-

S.No.	Number of advance deposits	Rebate for an account of one hundred rupees denomination
(1)	(2)	(3)
1.	Six or more deposits but not exceeding eleven deposits made in any calendar month.	Ten rupees.
2	Twelve or more deposits made in any calendar month.	Forty rupees for every twelve deposits and ten rupees for the balance, if any, of not less than six deposits.

- (2) For accounts of other denominations, the amount of rebate shall be proportionate to the rates specified in sub-paragraph (1).
- (3) The advance deposit of six months or more will be inclusive of the month in which the deposit is made.
- (4) If advance deposits are made for a period less than six months, no rebate shall be allowed and if the advance deposits are made for a period less than twelve months, the rebate shall be allowed to the extent admissible for six monthly advance deposits only.
- (5) The rebate for six monthly deposits or more made in advance may be given to the account holder irrespective of whether the amount was deposited in one lump sum in any calendar month or on different dates in any calendar month.
- (6) Where deposits are made on different dates, the rebate shall be paid at the time of deposit which makes advance deposit for six or more months, as the case may be.
- (7) The advance deposit may be made at the time of opening of the account or any time thereafter.
- (8) The advance deposit under this paragraph may be made net of the applicable rebate.
- (9) Advance deposits may be made for any period upto five years.

8. Premature closure.- The account holder may, by making an application to the accounts office in Form-2, close the account prematurely after three years from the date of opening of the account and interest at the rate applicable from time to time to the Post Office Savings Account shall be payable on such premature closure of account:

Provided that no premature closure of account shall be permissible until the period for which the advance deposits have been made under paragraph 7 is over.

9. Repayment on maturity.- (1) An account in which sixty monthly deposits have been made during its maturity period or maturity period as extended under sub-paragraph (1) of paragraph 6, the account holder shall be paid, at the end of such period, to receive an amount, by making an application in Form-3, as specified in the table below:-

TABLE

Period during which account is opened	Amount (Rupees) repayable on an account of 100 rupees denomination
From the date of notification	7231.38

Amount repayable inclusive of interest on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the table.

- (2) Where an account has become discontinued and which have not been revived during its maturity period or maturity period as extended under sub-paragraph (1) of paragraph 6, the account holder shall be entitled, on the expiry of such period, to receive an amount, inclusive of interest which shall be in the same proportion to the amount specified in Table in sub-paragraph (1).
- (3) The amount payable on final closure on maturity or otherwise in the account shall be rounded off to the nearest rupee and for this purpose the amount of fifty paisa or more shall be treated as one rupee and any amount less than fifty paisa shall be ignored.
- **10.** Accounts continued beyond maturity period.- (1) Notwithstanding anything contained in the foregoing paragraphs, if sixty monthly deposits have been made in an account during its maturity period or maturity period as extended under sub-paragraph (1) of paragraph 6, the account holder may, at his option, continue the account, by making an application in Form-4, for a further period of upto a maximum of five years and make monthly deposits which shall be equal to the first deposit, during such further period and the provisions of paragraphs 6 and 7 shall be applicable to such deposits.
- (2) An account continued under sub-paragraph (1) may at any time be closed by the account holder, and on such closure he shall be entitled to receive repayment of the amount, inclusive of interest, as follows:-
- (a) If the account is closed after being continued under sub-paragraph (1) for a completed number of years, the account holder shall be entitled to receive the amount inclusive of interest as specified in table-1 below:-

TABLE 1

(Amount inclusive of interest repayable on the accounts opened on or after the publication of this scheme and continued with monthly deposits beyond the maturity period or maturity period as extended under sub-paragraph (1) of paragraph 10.)

Number of completed years for which the account continued	Amount (Rupees) repayable on an account of 100 rupees denomination
One year	9013.82
Two years	10928.10
Three years	12983.98
Four years	15191.92
Five years	17563.19

Amount repayable inclusive of interest on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the table.

- (b) If the account is closed after being continued under sub-paragraph(1) for a period of less than one year, the account holder shall be entitled to receive the amount as specified under sub-paragraph (1) of paragraph 9 together with;
- (i) interest on such amount for the complete months for which the account was continued; and (ii) the amount of deposits made by him during the period for which the account was continued;
- (c) If the account is closed after being continued under sub-paragraph (1) for completed number of years not exceeding four and for a part of a year thereafter, the account holder shall be entitled to receive,-
- (i) the amount under clause (a) of sub-paragraph 2;
- (ii) interest on such amount for the complete months in the partial year; and
- (iii) the amount of deposits made by him during the partial year;
- (d) The interest referred in clause (b) and clause (c) shall be calculated at the rate applicable, from time to time, to the Post Office Savings Account.
- 11. Retention of amount of repayment beyond maturity period.- (1) Notwithstanding anything contained in the foregoing paragraphs, if sixty monthly deposits have been made in an account during its maturity period or maturity periods as extended under sub-paragraph (1) of paragraph 6, the account holder may, at his option, retain in it the amount of repayment due, by making an application in Form-3, under sub-paragraph (1) of paragraph9 for a further period upto a maximum of five years without making any fresh deposits during such further period.
- (2) On closure of the account at the expiry of the further period referred to in sub-paragraph (1), the account holder shall be entitled to receive repayment as specified in Table 1 below:-

TABLE 1

Further period for which account is retained	Amount due
(1)	(2)
(i) If the further period is less than one year.	The amount due under sub- paragraph (1) of paragraph9 together with interest on such amount for the complete months in the further period.
(ii) If the further period consists of complete years only.	The amount specified in Table IV.
(iii) If the further period consists of completed years not exceeding four and a part of the year thereafter.	The amount referred to in item (ii), relevant to the number of completed years together with interest on such amount for the complete months in the partial year.

TABLE 2

(Amount inclusive of interest repayable on an account opened on or after day of notification of this gazette and continued without any fresh monthly deposit beyond the maturity period or maturity period as extended under sub-paragraph (1) of paragraph 11.)

Number of completed years for which the account continued	Amount (Rupees) repayable on an account of 100 rupees denomination
One year	7766.26
Two years	8340.71
Three years	8957.65
Four years	9620.23
Five years	10331.81

Amount repayable inclusive of interest on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the table.

- (2) The interest specified in items (i) and (iii) of sub-paragraph (2) shall be calculated at the rate applicable from time to time to the Post Office Savings Account.
- (3) (a) If maturity value of a discontinued account is retained by the account holder after the date of maturity, interest at the rate applicable to this Scheme for completed years, and at the rate applicable to the Post Office Savings Account for completed months, if the period is less than a year, shall be paid on the maturity value on the date of maturity.
- (b) The interest under this sub-paragraph may be paid upto a maximum period of five years from the date of maturity of the account.
- (4) The accounts having permissible defaults shall also be treated at par with discontinued accounts for the payment of maturity value and in cases where the account is discontinued, or is having permissible defaults, interest shall be paid on the maturity value as per the rates specified under sub-paragraph (4).
- 12. Repayment on the death of the account holder.- (1) Subject to sub-paragraph (2), on the death of the account holder in a single account, or of all the account holders in a joint account, no further deposits shall be made in the account and the repayment shall be made to the nominee or legal heirs as the case may be. For the purposes of such procedure, the amount due for repayment on the account shall be specified in the Table -1 below:-

TABLE - 1

Sl. No.	Number of deposits	Admissible amount
(1)	(2)	(3)
1.	(a) If sixty monthly deposits have been made and the account has not been continued under sub- paragraph (1) of paragraph 10 or paragraph 11.	The amount specified in Table under sub-paragraph (1) of paragraph 9.
	(b) If less than sixty monthly deposits have been made in the account: and	
2.	(i) if the nominee or the legal heir desires to receive the amount due on the expiry of maturity period or extended maturity period under sub-paragraph (1) of paragraph 6: or	The amount specified in Table under sub-paragraph (1) of paragraph 9, subject to the provisions of paragraph 13.
	(ii) if the nominee or legal heir desires to receive the amount due at any time earlier than under (i) above.	The amount specified in Table-2 subject to the provisions of paragraph 13.
3.	(c) If the account has been continued under sub-paragraph (1) of paragraph 10 or paragraph 11.	The amount specified in sub- paragraph (2) of paragraph 10 or paragraph 11, as the case may be.

TABLE - 2

(Amount payable to legal heir or nominees on the death of the depositor in five year under this scheme on the accounts opened between the day of notification of this scheme and upto closure of the account)

Number of deposits	Amount (Rupee) for	No. of deposits made	Amount (Rupees) for denomination
made	denomination of 100		of 100 rupees
	rupees		
1 to 11	Deposits made	36	4026.32
12	1247.55	37	4150.94
13	1355.59	38	4276.29
14	1464.27	39	4402.39
15	1573.60	40	4529.25

Number of deposits made	Amount (Rupee) for denomination of 100 rupees	No. of deposits made	Amount (Rupees) for denomination of 100 rupees
16	1683.59	41	4656.86
17	1794.22	42	4785.23
18	1905.52	43	4914.36
19	2017.48	44	5044.27
20	2130.11	45	5174.95
21	2243.41	46	5306.42
22	2357.39	47	5438.66
23	2472.05	48	5571.70
24	2587.39	49	5705.52
25	2703.42	50	5840.15
26	2820.14	51	5975.58
27	2937.55	52	6111.82
28	3055.67	53	6248.87
29	3174.49	54	6386.73
30	3294.02	55	6525.42
31	3414.27	56	6664.94
32	3535.23	57	6805.29
33	3656.91	58	6946.47
34	3779.32	59	7088.50
35	3902.45	60	7231.38

Amount repayable inclusive of interest on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the table.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), if there are upto three surviving nominees or legal heirs, they may continue the account and receive repayment of the amount inclusive of interest, in the manner provided for in this Scheme, as if the account had been opened themselves, by submitting an application in the prescribed form and the Accounts Office shall make remarks in the relevant records that the account is transferred in the name of the nominee or the legal heir, as the case may be.
- (3) On the death of one or two account holder in a joint account, the surviving account holder or holders shall be treated as the sole owner or owners of the account and such holder or holders may deal with the account in any manner provided for in this Scheme, as if had opened the account in his or their name. If less than sixty monthly deposits have been made into the account, the surviving account holder or holders shall also have the option to close the account immediately and receive the amount as specified in sub-paragraph (1).
- (4) On the death of the guardian of minor or a person of unsound mind, the new guardian may close the account and claim the amount as specified in sub-paragraph (1) of paragraph 9 or sub-paragraph (2) of paragraph 10 or sub-paragraph (2) of paragraph 11, as the case may be, if the same is required in the interest of such account holder.
- (5) If the account is discontinued by the nominee or the legal heir and the maturity value is claimed at the end of the term of the account, the amount payable shall be calculated in the manner specified in subparagraph (3) of paragraph 9.
- 13. Repayment of full maturity value on the death of account holder in certain cases (Protected Savings Scheme).- (1) Where the account holder in a single account or all the account holders in a joint account dies

during the maturity period of an account or its extension under sub-paragraph (1) of paragraph 6, the legal heir or the nominee, as the case may be, of such account holder or holders, shall be entitled to receive the amount specified in sub-paragraph (1) of paragraph 9 as if the account holder had paid all the sixty monthly deposits subject to the following conditions, namely:-

- (i) the payment of full maturity value under this paragraph shall be restricted to the maturity value of an account of the denomination of one hundred rupees;
- (ii) the account has not become a discontinued account:
- (iii) the period from the date of opening the account to the date of death of the account holder or the surviving account holder, as the case may be, is not less than two years;
- (iv) the age of the account holder or the account holders, as the case may be, at the time of opening the account was not less than eighteen years and not more than fifty-five years:

Provided that where at the time of opening the account or thereafter, account holder or holders have not given a declaration in writing to the accounts office indicating the age of such account holder or holders, the claimant shall furnish a certified copy of the birth certificate or School Leaving Certificate or PAN card or voter I card or Passport or Driving License of the deceased account holder or holders;

(v) the first twenty-four monthly deposits have been made without default:

Provided that a defaulted instalment paid with revival fee specified under sub-paragraph (1) of paragraph 6 before the death of the account holder or the surviving account holder, as the case may be, shall not be treated as default;

- (vi) the amount of defaults, if any, after twenty-four months from the date of opening the account, together with revival fee on such amount at the rate specified in sub-paragraph (3) of paragraph 6 shall be deducted from the amount payable under this paragraph;
- (vii) no loan has been made from the account during the first twenty-four months;
- (viii) if a loan under paragraph 14 has been availed from the account after the expiry of twenty-four months from the date of opening of the account, any outstanding amount of such loan and the interest due thereon under paragraph 14 shall be recovered from the amount payable under this paragraph.
- (2) (a) If an account holder or the surviving account holder has more than one account of the denominations not exceeding one hundred rupees, the benefit of payment under this paragraph shall be available in respect of all such accounts which may be specified by the account holder or the surviving account holder, as the case may be, subject to a maximum of the maturity value of an account of one hundred rupees.
- (b) If an account holder or a surviving account holder has more than one account of the denominations exceeding one hundred rupees, the benefit of payment under this paragraph shall be available in respect of only that account which may be specified by the account holder or the surviving account holder, as the case may be, subject to a maximum of the maturity value of an account of denomination of one hundred rupees:

Provided that an account holder or a surviving account holder may, by making an application to the accounts office where the account is held, change the account referred to in clause (a) or clause (b).

- (c) If no account has been specified by an account holder or a surviving account holder under clause (a) or, as the case may be, under clause (b), the benefit of payment under this paragraph shall be admissible in respect of earlier accounts which qualify for payment under this paragraph.
- (d) Notwithstanding anything contained in clauses (a) to (c), if an account holder or the surviving account holder, has more than one account, and different nominations are made in respect of the accounts, the benefit of payment under this paragraph shall be admissible to the nominees in respect of earlier accounts which qualify for payment.
- (3) The legal heir or nominee, as the case may be, shall on the death of the account holder or the surviving account holder, as the case may be, apply to the Accounts Office not later than one year from the date of death of such account holder along with death certificate in respect of the deceased account holder, or a certified copy thereof, and the Accounts Office shall obtain a declaration from the nominee/legal heir that he has not previously availed the benefit of the Protected Savings Scheme in respect of any account of the deceased account holder.

- (4) The amount of advance deposits remaining after the death of the account holder, if any, shall also be refunded back to the claimant alongwith the full maturity value of the account under the Protected Savings Scheme.
- (5) (a) In case of an account of denomination of more than one hundred rupees, the proportionate maturity amount which shall bear the same proportion to the full maturity value as the number of instalments deposited in the account bear to sixty shall be calculated and if the amount so calculated exceeds the full maturity value of an account of the denomination of one hundred rupees, no benefit under this paragraph shall be admissible.
- (b) If the said proportionate maturity value is less than the full maturity value of an account of one hundred rupees denomination, then an amount equal to the maturity value of a one hundred rupees denomination shall be payable under the Protected Savings Scheme.
- (6) If a deceased account holder has more than one account having denominations of less than one hundred rupees eligible for benefit under this Scheme, but the total of their denominations exceeds rupees one hundred, the benefit of this Scheme shall be admissible only if the combined proportionate maturity amount, as specified in sub-paragraph (5), of all such accounts is less than the maturity value of the account of one hundred rupees denomination.
- **14. Loan.** (1) Subject to the provisions of sub-paragraphs (2) to (7), where an account has not become a discontinued account under sub-paragraph (2) of paragraph 6, the account holder by making an application to the accounts office in Form-5, may avail the facility of loan of the amount not exceeding fifty per cent. of the deposits made in the accounts after the account has been in operation for at least one year and twelve monthly deposits have been made in the account.
- (2) The amount of such loan shall be a multiple of ten rupees which may be repaid, at any time during the currency of the account in one lump sum or in equal monthly instalments.
- (3) Simple interest at the rate of two percentage points over and above the interest rate applicable to the account of the loan shall be payable in the following manner:-
- (a) in the case of repayment in one lump sum, interest at the rate specified in sub-paragraph (3), shall be calculated on the amount of loan from the date of withdrawal to the date of repayment;
- (b) in the case of repayment in equal monthly instalments, the amount of each instalment shall be in multiples of ten rupees and the number of instalments shall not exceed the number of months remaining for maturity of the account or the post maturity period for which the account is continued under paragraph 10 or paragraph 11 and the interest at the rate specified in sub-paragraph (3) shall be calculated on the amount remaining unpaid at the end of each month from the month of withdrawal of the loan, and the total amount of such interest shall be payable in lump sum alongwith the last instalment of repayment of the amount of loan or in the month following the month in which the last instalment of the loan is repaid.
- (4) (a) During the maturity period of an account or its extension under sub-paragraph(1) of paragraph 6 or sub-paragraph (1) of paragraph 10, the monthly instalment of repayment of loan, if any, shall be payable alongwith the monthly deposits.
- (b) If an account is retained beyond the maturity period without any fresh deposits under sub-paragraph (1) of paragraph 11, monthly instalments of repayment of loan, if any, may be paid during the period of such retention.
- (5) Where, for any reason, the amount of loan or a part thereof has not been repaid or the interest thereon has not been paid by the account holder before the closure of the account, the outstanding amount due from him in this behalf shall be recovered from the amount payable to him or to his nominee or legal heir, as the case may be, on the closure of the account.
- (6) The amount of interest recoverable on loan repaid on any one occasion shall be rounded off to the nearest rupee and for this purpose the amount of fifty paisa or more shall be treated as one rupee and any amount less than fifty paisa shall be ignored.
- (7) The balance in the account for the purpose of loan on the date of application shall include all deposits including advance deposits.
- (8) (a) In case the interest to be recovered is more than the interest payable on the deposits, the account holder shall be paid the amounts of deposits minus the amount of withdrawal made.

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 95

- (b) The amount of interest to be recovered on the loan shall be reduced in order to make it equal to the amount of interest payable on the deposits so that the account holder may get back the net deposits.
- **15. Rounding off transactions.** All transactions of recoveries, withdrawals, repayments, etc., under this Scheme shall be rounded off to the nearest rupee and for this purpose any amount of fifty paisa or more shall be treated as one rupee and any amount less than fifty paisa shall be ignored.
- **16. Procedure on the minor attaining majority.** (1) A minor on whose behalf an account has been opened may, on his attaining majority,-
- (a) continue the account for full maturity period, or the maturity period as extended under sub-paragraph (1) of paragraph 6, or for a further period under paragraph 10 or paragraph 11, as the case may be; or
- (b) if he does not continue the account any longer, claim proportionate amount as specified in sub-paragraph (1) of paragraph 9 on expiry of maturity period, or the amount due under sub-paragraph (2) of paragraph 10 or sub-paragraph (2) of paragraph 11, as the case may be.
- (2) The minor who exercises the option to continue the account under clause (a) of sub-paragraph (1) shall complete due diligence process and, give a declaration as follows:
- "I hereby declare that the General Rules and the National Savings Recurring Deposit Scheme, 2019 have been read by/to me and I accept the said rules and the scheme and all such amendments thereto as may be issued from time to time as binding on me".
- **17. Application of General Rules.-** The provisions of the General Rules shall, so far as may be, apply in relation to the matters for which no provision has been made in this Scheme.
- **18. Power to relax.** Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provisions of this Scheme causes undue hardship to the account holder, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of that provision or provisions in a manner not inconsistent with the provisions of the Act.

[F. No. 2/2/2018-NS (Pt. I)] RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

FORM -1

[See sub-paragraph (1) of paragraph 3] (Application for opening an account)

То		
	ne Postmaster/Manager	Paste photograph of applicant/s
Sir,		
under l	I/We(account holder(s)/guardian) hereby ap National Savings Recurring Deposit Scheme in your Post Office/Bank.	oply for opening of an account
I/We (Rs	tender herewith)	
•	date as initial deposit. My/our particulars are as	
1.	Name of First Depositor	
	Husband/Father /mother's name or Guardian appointed by Court	

	Date of Birth	(DD / MM / YYYY)
		(In words)
2.	Name of Second Depositor	
	Husband/Father /mother's name	
	Date of Birth	
		(DD / MM / YYYY)
		(In words)
3.	Name of Third Depositor	
	Date of Birth	
		(DD / MM / YYYY)
		(In words)
4.	Name of minor/person of unsound mind	account holder
	Father /mother/guardian's name	
	Date of Birth	
		(DD / MM / YYYY)
		(In words)
5.	Aadhaar Number of account holder(s)	
6.	Permanent Account Number (PAN) of a	account holder(s)
7.	Present Address	
	Permanent Address	
	Termanent / Radioss	
8.	Contact details	Telephone Number
••		Mobile Number
		Email ID
9.	Type of Account	Single or Joint or through Guardian for Minor or
		person of unsound mind or blind or differently
		abled through authorized person.

(Applicable	in case of minor account)	
d)	Certificate No.	
e)	Date of Issue	
f)	Issuing authority	
	Guardian (Natural/Legal)	
(In case the a	account is opened on behalf of a n of unsound mind)	
12. Details of ot	her KYC documents attached	1. Proof of identification
		2. Address proof
The following	documents are accepted as valid	···
proof: 1. Passp State Government and address; 13. The operatio	ort 2. Driving license 3. Voter's	documents for the purpose of identification and addr ID card 4. Job card issued by NREGA signed by National Population Register containing details of na
proof: 1. Passp State Government and address;	ort 2. Driving license 3. Voter's ent officer 5. Letter issued by the n of the account will be:-	documents for the purpose of identification and addr ID card 4. Job card issued by NREGA signed by National Population Register containing details of na (a) By all the holders together or the surviv
proof: 1. Passp State Government and address; 13. The operation holder/s. (In case of judepositor/s,	ort 2. Driving license 3. Voter's ent officer 5. Letter issued by the n of the account will be:-	documents for the purpose of identification and address ID card 4. Job card issued by NREGA signed by National Population Register containing details of national By all the holders together or the survivi
proof: 1. Passp State Government and address; 13. The operation holder/s. (In case of judepositor/s, 14. My/our spectiment	ort 2. Driving license 3. Voter's ent officer 5. Letter issued by the n of the account will be:- sint account)	documents for the purpose of identification and addr ID card 4. Job card issued by NREGA signed by National Population Register containing details of na (a) By all the holders together or the survivious (b) By either of the holder/s, or the survivious 3.,
proof: 1. Passp State Governme and address; 13. The operatio holder/s. (In case of jo depositor/s, 14. My/our spec 1(Name)	ort 2. Driving license 3. Voter's ent officer 5. Letter issued by the n of the account will be:- oint account) imen Signatures	documents for the purpose of identification and address ID card 4. Job card issued by NREGA signed by National Population Register containing details of na (a) By all the holders together or the survivious (b) By either of the holder/s, or the survivious 3.,
proof: 1. Passp State Governme and address; 13. The operatio holder/s. (In case of jo depositor/s, 14. My/our spec 1(Name)	ort 2. Driving license 3. Voter's ent officer 5. Letter issued by the n of the account will be:- oint account) imen Signatures	documents for the purpose of identification and address ID card 4. Job card issued by NREGA signed by National Population Register containing details of national Population Register together or the survivional (a) By all the holders together or the survivional (b) By either of the holder/s, or the survivional content of the holder.
proof: 1. Passp State Governme and address; 13. The operatio holder/s. (In case of jo depositor/s, 14. My/our spec 1	ort 2. Driving license 3. Voter's ent officer 5. Letter issued by the ent officer 5. Letter issued by the n of the account will be:- oint account) imen Signatures	documents for the purpose of identification and addr ID card 4. Job card issued by NREGA signed by National Population Register containing details of na (a) By all the holders together or the surviv (b) By either of the holder/s, or the surviv 3

Date:....

			Nomination			
the exc	clusion of all other	r persons in the ev	hereby nominate ent of my death the se of my death would	amount standing		
S.No.	Name(s) of the nominee(s) and relationship	Full address (s)	Aadhaar number of nominee(optional)	Date of birth of nominee in case of minor	Share of entitlement	Nature of entitlement Trustee or owner
1						
2						
3						
4						
appoint Shri/Sr o receit 1. Sign Name &	t mt/Kumari ve the sum due und ature of witness & Address ature of witness	Addres		o,D/o,W/o		t
Place:			Signature or thur	mb impression c	of account hold	er(s)/guardian
			use of Post Office/B			
initial o	deposit of Rs		ne ofunderdat			(name of
		umber				
Nomin	ation has been regi	stered vide No		dated		

Signature and seal of competent authority.

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 99

FORM – 2

[See paragraph 8]

(Application for premature closure of account)

To,
The Postmaster/Manager
Sir,
1. I/we wish to prematurely close my/our Account No having balance of Only) opened under National Savings Recurring
(RupeesOnly) opened under National Savings Recurring Deposit Scheme and request you to pay the amount after deduction of applicable penalty as per details given below:-
Please Credit the amount to my SB Account no standing at(Name of Account office).
or
Please issue a Demand Draft/account payee cheque
or
Please pay in cash (applicable if the amount is below permissible limit)
3. I/We hereby declare that the conditions under which the account can be closed before maturity under the National Savings Recurring Deposit Scheme have been complied with. *Certified, that the amount held in the account is required for the use of
alive and still a Minor.
Date: Signature or thumb impression of account holder(s)/guardian
(Thumb impression of the depositor should be attested by a person known to the accounts office)
For office use only
Payment detail
Eligible balance in Account `
Less Penalty amount `
Total Amount to be paid `(In figures)
(In words)
Date Stamp Signature of Postmaster/Manager

100	THE GAZE	ETTE OF INDIA :	EXTRAORDINARY	[PAI	RT II—SEC. 3(i)]
		Acquitta	nce		
	(to be fi	lled by account l	nolder/ messenger)		
Received Rs.	(In figures))	(in word	s) By cash/chec	ue/DD bearing
No.)	dated	//by	transfer	to	Account
No			<u>_</u> .		
Date		Signature/	thumb impression of	account holder	(s)/guardian
		FORM -	- 3		
	[See sul	b-paragraph (1)	of paragraph 9]		
	(App	lication for clos	ure of account)		
Name of Post Offi	ce/Bank			Date	
	eco Bunk			<u> </u>	
	ereby submit pass boo		t and annly for closu	re of my/our ab	ove mentioned
	·	м асрози тесегр	t und appry for closu	ne or myrour ac	ove mentioned
	dit the amount of standing				
	standing	or	(r tame	of fice out of the	
Please issue a Dema	and Draft/account paye				
		or			
Please pay in cash (applicable if the amou	nt is below perm	issible limit).		
	e amount held in the	•	•	of	
		Signature	e or thumb impression	n of account hol	der(s)/guardian
	(Thumb i	impression shoul	d be attested by a per	rson known to A	accounts office)
		Payment O			
		(For office us	e only)		
				Date	•••••
		Payment d	etail		
Principal amount Rs	s				
(+) Interest due Rs.					
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					

(-) Recovery of overpaid interest Rs._____

Deduction if any Rs_____

Total Amou	unt due Rs	
Pay Rs	(in figurers)	(in words)
Date		
	A	Signature of Postmaster/Manager
	Acquittance (to be filled by deposite	on)
Received R	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
no	(In figures)/by tr	ransfer to Account No
Date:	Signature/thumb	impression of account holder(s)/guardian
	FORM – 4	
	[See sub-paragraph (1) of para	graph 10]
	(Application for extension of	account)
To,		
The Postma	aster/Manager	
		
Sir,		
	eam/aunder National Savings Recurring	<u>.</u>
account wa	as opened onand has/will mat	ture onfor payment. We
	nest for extension of the account for a further period of	year(s) (as per rule 10/11 of Scheme
•	he date of maturity of the above said account.	able to the account during the naried of
	We have understood the terms and conditions applicately not the said scheme as amended from time to time and	
Place		gnature of the account holder(s)/guardian
Date		(Name and address)
	For the use of Accounts O	ffice
The	e account no which was opened	on with Rs
) under	
	n, has been extended for a po toof the	·
	cessary entries have been made in the records and pass	
Date	_	Signature of Postmaster/Manager

Date

FORM – 5

[See sub-paragraph (1) of paragraph 14] (Application for Loan)

The Postmaster/Manager						
Sir,						
I/Weapply for loan from my/ou	r account as per details b		(account	holder(s)	/guardia	nn) hereby
Account Number:						
Amount of Loan applied						
*Certified, that the			is require	d for	the	use of
2. Please Credit the at)			_ standing
		or				
Please issue a Demand Dr	aft/account payee cheque	2				
		or				
Please pay in cash (application)	able if the amount is belo	w permissible limi	t of cash payr	nent).		
rease pay in easir (applied		1				
3. I/We certify that	all the conditions applic	_	e for grant o	f loan ha	ve beer	complied
	all the conditions applic	cable under scheme	count holder(s)/guardia	an	
3. I/We certify that with. Date:	all the conditions applic	cable under scheme	count holder(s)/guardia	an	
3. I/We certify that with. Date:	Signature or thum	cable under scheme	count holder(s)/guardia	an	
3. I/We certify that with. Date:	Signature or thum n case of thumb impressi	cable under scheme	count holder(s)/guardia	an	
3. I/We certify that with. Date: (Attestation is applicable i	Signature or thum n case of thumb impressi For o Paymer	cable under scheme ab impression of acc ion) office use only nt detail	count holder(Attested	s)/guardia	an	
3. I/We certify that with. Date: (Attestation is applicable in Acco	Signature or thum n case of thumb impressi For o Paymen unt Rs	able under scheme ab impression of acc ion) office use only nt detail	count holder(Attested	s)/guardia	an	
3. I/We certify that with. Date:	Signature or thum n case of thumb impressi For o Paymen unt Rs	cable under scheme ab impression of acc ion) office use only nt detail	count holder(Attested	s)/guardia	an	
3. I/We certify that with. Date: (Attestation is applicable in Accordance of Initial Subscription)	Signature or thum Signature or thum n case of thumb impressi For o Paymer unt Rs as allowed	cable under scheme ab impression of acc ion) office use only at detail	count holder(Attested	s)/guardia	an	
3. I/We certify that with. Date:	Signature or thum Signature or thum n case of thumb impressi For o Paymer unt Rs as allowed loan Rs	cable under scheme db impression of acc ion) office use only nt detail (In figures)	count holder(s)/guardia	an	
3. I/We certify that with. Date:	Signature or thum n case of thumb impressi For o Paymer unt Rs as allowed loan Rs	cable under scheme ab impression of acc ion) office use only nt detail (In figures)	count holder(s)/guardia	an	
3. I/We certify that with. Date:	Signature or thum n case of thumb impressi For o Paymen unt Rs as allowed loan Rs Signature of	cable under scheme ab impression of accion) office use only nt detail (In figures) of Postmaster/Mana	count holder(s)/guardia	an	
3. I/We certify that with. Date:	Signature or thum n case of thumb impressi For o Paymer unt Rs as allowed Signature of thumb impressi For o Paymer Acceptations applied to the provide the provided to t	cable under scheme ab impression of accion) office use only nt detail (In figures) of Postmaster/Manace	count holder(s)/guardia	an	
3. I/We certify that with. Date:	Signature or thum n case of thumb impressi For o Paymer unt Rs as allowed loan Rs Signature of thumb impressi Ao (to be file	cable under scheme ab impression of accion) office use only nt detail (In figures) of Postmaster/Manace cquittance lled by depositor)	ager	s)/guardia	an	

Signature/thumb impression of account holder(s)/guardian